



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1194]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 23, 2013/ज्येष्ठ 2, 1935

No. 1194]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 23, 2013/JYAISTHA 2, 1935

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मई, 2013

का.आ. 1348(अ). — भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 15 मई, 2010 को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् को अधिकांत् कर दिया था और उक्त परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सभी सदस्यों ने अपने पद रिक्त कर दिए थे ;

और परिषद् के अधिकांत् होने पर, केन्द्रीय सरकार ने इस अंतराल के दौरान परिषद् के कृत्यों का पालन करने के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ.1123(अ), तारीख 15 मई, 2010 द्वारा शासी बोर्ड का गठन किया था ;

और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2011 (2011 का 13) द्वारा शासी बोर्ड का कार्यकाल दो वर्ष बढ़ाया गया था और उसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 का 20) द्वारा 15 मई, 2010 से तीन वर्ष तक और बढ़ाया गया था ;

और शासी बोर्ड का तीन वर्ष का कार्यकाल तारीख 14 मई, 2013 को समाप्त हो गया था और अतः भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का 4), जिसे तारीख 21 मई, 2013 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किया था, जो 15 मई, 2013 से प्रवृत्त हुआ है, के उपबंधों के अनुसार शासी बोर्ड का पुनर्गठन करना आवश्यक हो गया है ;

और उक्त अध्यादेश द्वारा यथाअंतःस्थापित, उक्त अधिनियम की धारा 3कक में केन्द्रीय सरकार से, तारीख 15 मई, 2013 से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के भीतर धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन परिषद् का पुनर्गठन करना अपेक्षित है ;

और धारा 3कक का परंतुक यह उपबंध करता है कि धारा 3क की उप-धारा (4) के अधीन गठित शासी बोर्ड परिषद् की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन नई परिषद् के पुनर्गठन तक या ऐसी अवधि तक जो 15 मई, 2013 से एक सौ अस्सी दिन से अधिक की नहीं होगी, जो भी पूर्वतर हो, करता रहेगा ;

अतः,अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बने हुए शासी बोर्ड का पुनर्गठन करती है, अर्थात् :-

- | | | | |
|-------|--|---|-----------|
| (i) | डा0 आर.के.श्रीवास्तव, भूतपूर्व महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं | - | अध्यक्ष ; |
| (ii) | डा0 के.एस.शर्मा, निदेशक अकादमिक (टीएमसी)
और आचार्य संवेदना हरण विज्ञान, संकट कालीन देखरेख और वेदना
विभाग, टाटा मेमोरियल सेंटर, मुंबई | - | सदस्य |
| (iii) | डा0 के. मोहनदास, कुलपति, केरल स्वास्थ्य और सहबद्ध विज्ञान
विश्वविद्यालय, त्रिचूर | - | सदस्य |
| (iv) | डा0 राजा बाबू पंवार, कुलपति, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान
विश्वविद्यालय, जयपुर | - | सदस्य |
| (v) | डा0 बी.के.राव, अध्यक्ष, संकट कालीन देखरेख और आपात औषध, सर
गंगा राम चिकित्सालय, नई दिल्ली । | - | सदस्य |
| (vi) | डा0 ए.के.बर्धन, चिकित्सा निदेशक, डा0 बी.सी.रॉय आयुर्विज्ञान और
अनुसंधान संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड्गपुर । | - | सदस्य |
| (vii) | डा0 मनोज सिंह, आचार्य, रोग विज्ञान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान
संस्थान, नई दिल्ली । | - | सदस्य |

2. शासी बोर्ड की पदावधि 15 मई, 2013 से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के लिए या परिषद् का पुनर्गठन होने तक, जो भी पूर्वतर हो, होगी ।

[सं0 वी-11011/1/2013-एमईपी-1]

डा0 विश्वास मेहता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd May, 2013

S.O. 1348(E).—Whereas, on 15th May, 2010, the Medical Council of India was superseded in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act) and the President, Vice-President and all other Members of the said Council vacated their offices;

And whereas, on supersession of the Council, the Central Government constituted the Board of Governors *vide* notification of the Government of India, Ministry of Health and Family Welfare number S.O.1123(E) dated the 15th May, 2010 to perform the functions of the Council during the interregnum;

And whereas, the term of the Board of Governors had been extended to two years by the Indian Medical Council (Amendment) Act, 2011 (13 of 2011) and it was further extended upto three years by the Indian Medical Council (Amendment) Act, 2012 (20 of 2012), with effect from the 15th May, 2010;

And whereas, the three year term of the Board of Governors had expired on the 14th May, 2013 and therefore, it has become necessary to go for reconstitution of the Board of Governors in accordance with the provisions of the Indian Medical Council (Amendment) Ordinance, 2013 (4 of 2013), which was promulgated by the President on the 21st May, 2013, which came into force with effect from the 15th day of May 2013;

And whereas, section 3AA of the said Act, as inserted by the said Ordinance, requires the Central Government to reconstitute the Council under sub-section (1) of section 3 within a period of one hundred and eighty days with effect from the 15th day of May, 2013;

And whereas the proviso to section 3AA provides that the Board of Governors constituted under sub-section (4) of section 3A shall continue to exercise the powers and perform the functions of the Council till the new Council is reconstituted or for a period not exceeding one hundred and eighty days with effect from the 15th day of May, 2013, whichever is earlier;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 3A of the said Act, the Central Government hereby reconstitutes the Board of Governors consisting of the following persons as its Chairperson and other Members, namely:—

- (i) Dr. R.K.Srivastava, Former Director General of Health Services — Chairperson;
- (ii) Dr. K.S.Sharma, Director Academics (TMC) and Professor Department of Anesthesiology, Critical Care & Pain, Tata Memorial Centre, Mumbai — Member;
- (iii) Dr. K. Mohandas, Vice-Chancellor, Kerala University of Health and Allied Sciences, Trissur — Member;
- (iv) Dr. Raja Babu Panwar, Vice-Chancellor, Rajasthan University of Health Sciences, Jaipur — Member;
- (v) Dr. B. K. Rao, Chairman, Department of Critical Care and Emergency Medicine, Sir Ganga Ram Hospital, New Delhi — Member;
- (vi) Dr. A. K. Bardhan, Medical Director, Dr. B. C. Roy Institute of Medical Science and Research, Indian Institute of Technology, Kharagpur — Member;
- (vii) Dr. Manoj Singh, Professor of Pathology, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi — Member.

2. The term of office of the Board of Governors shall be for a period of one hundred and eighty days with effect from the 15th day of May, 2013 or the reconstitution of the Council, whichever is earlier.

[No. V.11011/1/2013-MEP-I]

Dr. VISHWAS MEHTA, Jt. Secy.